

प्ररूप – 18

[नियम 38(1) देखिए]

व्यवसाय प्रमाण –पत्र के गुम होने या नष्ट होने की सूचना तथा दूसरी प्रति के लिए आवेदन

सेवा में,

रजिस्ट्रीकार्ता प्रधिकारी

.....

मुझे / हमें जारी किया गया व्यवसाय प्रमाण—पत्र, जिसका संख्यांकहै और जो तारीखतक विधिमान था, निम्नलिखित परिस्थितियों में विकृत हो गया है, गल गया है गुम हो गया है नष्ट हो गया है और नीचे विनिर्दिष्ट कारणों से मेरे / हमारे कब्जे में नहीं है।

मैं / हम विकृत / गले हुए व्यवसाय प्रमाण—पत्र को अभ्यर्थित करता हूँ / करते हैं।

मैं / हम घोषणा करता हूँ करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार नियमों के उपबों के अधीन व्यवसाय प्रमाण—पत्र को न तो निलम्बित किया गया है और न ही रद्द किया गया है और उपर्युक्त प्रमाण—पत्र अब किसी और के उपयोग में नहीं है। यदि व्यवसाय प्रमाण—पत्र मुझे मिलता है या मुझे दिया गया है तो मैं उसे अभ्यर्पित करने का वचन देता हूँ।

मैं रूपय की फीस जमा करता हूँ और व्यवसाय प्रमाण—पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन करता हूँ।

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा विन्ह

पता

....